संख्या-170/2026/875के-2/22-3-2025-17(404)/2025

प्रेषक,

कमलेश कुमार,
उप सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-3 लखनऊः दिनांक 22 मई, 2026

विषयः- केन्द्रीय कारागार, नैनी प्रयागराज में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी पप्पू उर्फ बाबादीन पुत्र श्री गया लोधी, निवासी जनपद- बांदा की फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने कार्यालय के पत्र संख्या-15042/प्रोवेशन-3-फार्म-ए/(एम0-20.03.2025) दिनांक-28.03.2025 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार केन्द्रीय कारागार, नैनी प्रयागराज में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी पप्पू उर्फ बाबादीन पुत्र श्री गया लोधी, कालू कुआं, थाना- कोतवाली नगर, जनपद-बांदा का निवासी है। फिरौती के उद्देश्य से ढाई लाख रूपये की मांग को लेकर दिनांक 05.02.2006 की रात्रि को बन्दी ने अपने 01 सहअभियुक्त के साथ मिलकर 02 व्यक्तियों का अपहरण कर अपराध कारित किया गया। उक्त अपराध में बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-50/2006, आईपीसी की धारा-364ए में मा० विशेष न्यायाधीश (द0प्र0क्षे0)/अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट संख्या-03, बांदा के आदेश दिनांक 19.02.2008 द्वारा आजीवन कारावास से से दण्डित किया गया। उक्त के अतिरिक्त द्वितीय केस में पुरानी रंजिश को लेकर दिनांक 02.02.2006 को बन्दी ने बन्दूक से गोली मारकर पप्पू नामक व्यक्ति की हत्या कर दी। उक्त वाद में सत्र परीक्षण संख्या-134/2006, आईपीसी की धारा-302/34, 307/34 में मा0 विशेष न्यायाधीश (आ0व0अधि0)/अपर सत्र न्यायाधीश, बांदा के आदेश दिनांक 08.09.2009 द्वारा आजीवन कारावास की सजा से दण्डित किया गया। बन्दी द्वारा जेल रिपोर्ट के अनुसार प्रथम वाद में दिनांक 10-06-2023 तक अपरिहार 15 वर्ष, 11 माह, 11 दिन तथा सपरिहार 21 वर्ष, 18 दिन की सजा पूरी कर ली है। द्वितीय वाद में बन्दी ने दिनांक 16.08.2024 तक अपरिहार 17 वर्ष, 21 दिन तथा सपरिहार 17 वर्ष, 04 माह 28 दिन की सजा भोगी गयी है एवं बन्दी की आयु 47 वर्ष 03 माह 08 दिन है। जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, बांदा द्वारा मा० उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में बन्दी के समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

प्रोबेशन बोर्ड द्वारा द्वारा सिद्धदोष बन्दी पप्पू उर्फ बाबादीन पुत्र गया लोधी की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई पर विचार-विमर्श किया गया। प्रकरण में फिरौती के उद्देश्य से ढाई लाख रूपये की मांग को लेकर दिनांक 05.02.2006 की रात्रि को बन्दी ने अपने 01 सहअभियुक के साथ मिलकर 02 व्यक्तियों का अपहरण कर अपराध कारित किया गया एवं पुरानी रंजिश को लेकर दिनांक 02.02.2006 को बन्दी ने बन्दूक से गोली मारकर पप्पू नामक व्यक्ति की हत्या करने का जघन्य अपराध कारित किया है। बन्दी द्वारा 02 वादों में फिरौती एवं हत्या जैसा जघन्य अपराध कारित किया गया है। जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा स्थानीय स्तर पर वर्तमान परिस्थितियों का सम्यक परीक्षण कर माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में समयपूर्व रिहाई का विरोध किया गया है। प्रकरण से सम्बंधित ऐसा कोई तथ्य परिलक्षित नहीं है, जिसके आधार पर जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक तथा

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

जिला मजिस्ट्रेट की आख्या/संस्तुति के प्रतिकूल अवधारणा बनाई जा सके। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता के दृष्टिगत प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट-1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बंदी पप्पू उर्फ बाबादीन पुत्र श्री गया लोधी को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

4- अतः उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि केन्द्रीय कारागार, नैनी प्रयागराज में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी पप्पू उर्फ बाबादीन (बन्दी संख्या-540/10) पुत्र श्री गया लोधी, निवासी जनपद-बांदा को फार्म-ए/लाईसेंस पर यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज ऑन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के प्राविधानों के अन्तर्गत सम्यक् विचारोपरान्त मुक्ति का पात्र नहीं पाया गया है। अतएव उक्त बन्दी की लाइसेन्स पर मुक्ति श्री राज्यपाल द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। तदनुसार बंदी के फार्म-ए/लाईसेंस पर शासन के आदेश अंकित करके एतद्द्वारा वापस लौटाया जा रहा है। कृपया प्राप्ति स्वीकार करते हुए शासन के निर्णय से बन्दी को तत्काल अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नकः यथोपरि।

(बन्दी का फार्म-ए एवं समस्त पत्रादि सहित)

भवदीय,
कमलेश कुमार
उप सचिव।

संख्या व दिनांक तदैव:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- जिला मजिस्ट्रेट, बांदा।

2- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, नैनी प्रयागराज।

3- कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2, उ0प्र0 शासन।

4- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
ममता श्रीवास्तव
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

शासनादेश संख्या-170/2026/875के-2/22-3-2025-17(404)/2025

दिनांक 22 मई, 2026 का संलग्नक

सरकार के आदेश

केन्द्रीय कारागार, नैनी प्रयागराज में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी पप्पू उर्फ बाबादीन पुत्र श्री गया लोधी, कालू कुआं, थाना- कोतवाली नगर, जनपद-बांदा का निवासी है। फिरौती के उद्देश्य से ढाई लाख रूपये की मांग को लेकर दिनांक 05.02.2006 की रात्रि को बन्दी ने अपने 01 सहअभियुक्त के साथ मिलकर 02 व्यक्तियों का अपहरण कर अपराध कारित किया गया। उक्त अपराध में बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-50/2006, आईपीसी की धारा-364ए में मा० विशेष न्यायाधीश (द0प्र0क्षे0)/अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट संख्या-03, बांदा के आदेश दिनांक 19.02.2008 द्वारा आजीवन कारावास से से दण्डित किया गया। उक्त के अतिरिक्त द्वितीय केस में पुरानी रंजिश को लेकर दिनांक 02.02.2006 को बन्दी ने बन्दूक से गोली मारकर पप्पू नामक व्यक्ति की हत्या कर दी। उक्त वाद में सत्र परीक्षण संख्या-134/2006, आईपीसी की धारा-302/34, 307/34 में मा0 विशेष न्यायाधीश (आ0व0अधि0)/अपर सत्र न्यायाधीश, बांदा के आदेश दिनांक 08.09.2009 द्वारा आजीवन कारावास की सजा से दण्डित किया गया। बन्दी द्वारा जेल रिपोर्ट के अनुसार प्रथम वाद में दिनांक 10-06-2023 तक अपरिहार 15 वर्ष, 11 माह, 11 दिन तथा सपरिहार 21 वर्ष, 18 दिन की सजा पूरी कर ली है। द्वितीय वाद में बन्दी ने दिनांक 16.08.2024 तक अपरिहार 17 वर्ष, 21 दिन तथा सपरिहार 17 वर्ष, 04 माह 28 दिन की सजा भोगी गयी है एवं बन्दी की आयु 47 वर्ष 03 माह 08 दिन है। जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, बांदा द्वारा मा० उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में बन्दी के समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

प्रोबेशन बोर्ड द्वारा द्वारा सिद्धदोष बन्दी पप्पू उर्फ बाबादीन पुत्र गया लोधी की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई पर विचार-विमर्श किया गया। प्रकरण में फिरौती के उद्देश्य से ढाई लाख रूपये की मांग को लेकर दिनांक 05.02.2006 की रात्रि को बन्दी ने अपने 01 सहअभियुक के साथ मिलकर 02 व्यक्तियों का अपहरण कर अपराध कारित किया गया एवं पुरानी रंजिश को लेकर दिनांक 02.02.2006 को बन्दी ने बन्दूक से गोली मारकर पप्पू नामक व्यक्ति की हत्या करने का जघन्य अपराध कारित किया है। बन्दी द्वारा 02 वादों में फिरौती एवं हत्या जैसा जघन्य अपराध कारित किया गया है। जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा स्थानीय स्तर पर वर्तमान परिस्थितियों का सम्यक परीक्षण कर माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में समयपूर्व रिहाई का विरोध किया गया है। प्रकरण से सम्बंधित ऐसा कोई तथ्य परिलक्षित नहीं है, जिसके आधार पर जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक तथा जिला मजिस्ट्रेट की आख्या/संस्तुति के प्रतिकूल अवधारणा बनाई जा सके। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता के दृष्टिगत प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट-1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बंदी पप्पू उर्फ बाबादीन पुत्र श्री गया लोधी को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

उक्त के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरान्त श्री राज्यपाल द्वारा बंदी की फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर समयपूर्व रिहाई अस्वीकार कर दी गयी है।

कमलेश कुमार
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in